

प्रस्तावना

31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत किये गए राजस्व प्रक्षेत्र के अधीन राजस्व उदग्रहित करने वाले मुख्य विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित किये गये हैं, जो वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2017–18 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।